रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930
No. 497] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2008/CHAITRA 22, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2008

का.आ. 865(अ).—पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं के सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारियों द्वारा वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 18 जुलाई, 2007 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः—

उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका में, क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामशः—

तालिका

क्र.सं.	प्रयोगशालाओं का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"64.	मैसर्स एनावायरो एनालिस्ट्स और इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1-ए, एनवायरों हाउस, हंसा कॉम्पलेक्स, कार्टर रोड नं. 2 दत्ता पाडा, बोरीवली (पूर्व) मुंबई-400066	(1) डॉ. नीतू एस निगम (2) श्रीमती दिव्यालक्ष्मी आर.पटेल (3) श्रीमती श्रावणी सिद्धारूढ पटोले	11-4-2008 से 10-4-2013
65.	मैसर्स एनवायरोडिजाइन्स इको लैब्स, डी-1, एरोमा गार्डन ईको टॉवर,	(1) श्री के एल एन्टोनी (2) श्री हनोश एम.एस	11-4-2008 से

(1)	(2)	(3)	(4)
	एल आई एस एस आई ई, जंक्शन, एस आर एम रोड़, जनता जंक्शन, एरनाकुलम, कोची-682018	(3) सुश्री निशा जी नायर	10-4-2013
66.	मैसर्स जे.एम. एनवायरो नेट प्राइवेट लिमिटेड, पहला व दूसरा तल, एस.सी.ओ. 16 सैक्टर-10/ए, पेस सिटी, गुड़गांव (हरियाणा)	(1) श्री प्रदीप कुमार तनेजा (2) श्री जितेन्द्र यादव (3) सुश्री पल्लवी वर्मा	11-4-2008 से 10-4-2013
67.	मैसर्स स्टैन्डर्ड एनालिटिकल लैबोट्री प्राइवेट लिमिटेड, 69 फंक्शनल इन्ड्रस्ट्रियल एस्टेट, पटपटगंज दिल्ली-110092	(1) श्री वी.के. शर्मा (2) श्री बी. के. वत्स (3) श्री हरीश अरोड़ा	11-4-2008 से 10-4-2013
68.	मैसर्स साईन्टिफिक रिसर्च लैबोट्री, श्यामली एपार्टमेन्ट, 90, लेक ईस्ट, 4 रोड़, संतोषपुर, कोलकता-700075	(1) डॉ. ज्योतिरमॉय मजूमदार (2) डॉ. रिजुल करीम	11-4-2008 से 10-4-2013".

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू.]

आर के वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 की संख्या का.आ.1174(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1539 (अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2007 के सं का.आ.1811(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 के सं. का.आ. 55(अ), दिनांक 4 मार्च, 2008 के सं. का.आ. 428(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2008

S.O. 865(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act, and rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the Purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number, S.O.1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification, after serial number 63 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"64.	M/s Enviro Analysts & Engineers Private Limited, 1-A, Enviro House, Hansa Complex, Carter Road No.2, Datta Pada, Borivali (E), Mumbai-400066	(1) Dr. Neetu S. Nigam (2) Mrs. Divyalaxmi R. Patel (3) Mrs. Shravanee Siddharudh Patole	11-4-2008 to 10-04-2013

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)
65.	M/s Envirodesigns Eco Labs, D-1, Aroma Garden Eco Tower, LISSIE, Jn. SRM Road, Janatha Jn., Ernakulam, Kochi-682018	(1) Mr. K. L. Antony (2) Mr. Hanosh M.S. (3) Ms. Nisha G. Nair	11-4-2008 to 10-4-2013
66	M/s. J. M. Enviro Net Private Limited, 1st & 2nd Floor, S. C. O. 16, Sector-10A, Pace City, Gurgaon (Haryana)	(1) Mr. Pradeep Kumar Taneja (2) Mr. Jitendra Yadav (3) Mrs. Pallavi Verma	11-04-2008 to 10-4-2013
67	M/s. Standard Analytical Laboratary Private limited, 69, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110 092	(1) Mr. V. K. Sharma (2) MR. B. K. Vats (3) Mr. Harish Arora	11-4-2008 to 10-4-2013
68	M/s. Scientific Research Laboratory, Shyamali Apartment, 90, Lake East, 4th Road, Santoshpur, Kolkata-700 075	(1) Dr. Jyotirmoy Majumdar (2) Dr. Reazul Karim	11-4-2008 to 10-4-2013".

[F. No. Q.-15018/7/2003-CPW]
R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended *vide* notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated 9th January, 2008 and S.O. 428(E), dated 4th March, 2008.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.